

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
आदेश

पटना, दिनांक-...../

सं०-03/आ०1-157/2025/ श्री संग्राम सिंह, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सुपौल, श्री राहुल चन्द्र चौधरी, तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, सुपौल, श्री महताव रहमानी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, एम० डी०एम० श्री प्रवीण कुमार, तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, एस०एस०ए० सह बी० ई० ओ० पिपरा एवं अन्य के विरुद्ध श्री अरुण कुमार मिश्र द्वारा दायर परिवाद की जांच क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, कोशी प्रमंडल, सहरसा से करायी गयी।

2. परिवाद में श्री संग्राम सिंह, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सुपौल, श्री राहुल चन्द्र चौधरी, तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, सुपौल, श्री महताव रहमानी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, एम० डी०एम० श्री प्रवीण कुमार, तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, एस०एस०ए० सह बी० ई० ओ० पिपरा एवं अन्य के विरुद्ध परिवादी को निलंबित करने, गबन आदि जैसे कतिपय आरोप लगाया गया है।

3. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, कोशी प्रमंडल, सहरसा से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में श्री अरुण कुमार मिश्र द्वारा दायर परिवाद को संचिकास्त किया जाता है।

4. उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/

(मनोरंजन कुमार)

निदेशक (प्रशासन)

ज्ञापांक-03/आ०1-157/2025 ^{2/353214}/ पटना, दिनांक- 21.01.2026 /

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/सभी निदेशक, शिक्षा विभाग/विशेष दंडाधिकारी, निगरानी विभाग को पत्रांक-1783 दिनांक 16.07.2025 के आलोक में/क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, कोशी प्रमंडल, सहरसा/जिला शिक्षा पदाधिकारी, सहरसा/श्री संग्राम सिंह, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सुपौल, श्री राहुल चन्द्र चौधरी, तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, सुपौल, श्री महताव रहमानी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, एम० डी०एम० श्री प्रवीण कुमार, तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, एस०एस०ए० सह बी० ई० ओ० पिपरा एवं आई.टी. मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Signed by

Manoranjan Kumar

Date: 21-01-2026 13:20:54

निदेशक (प्रशासन)